न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 18/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. राहुल जैन पुत्र रमेशचन्द जैन, उम्र 45 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जैन ऐजेन्सीज, कोतवाली, भरतपुर निवासी भोगल बैंड के सामने वाली गली, कोतवाली भरतपुर।
2. दीपक सरीन पुत्र बहादुर सिंह (एफएसएसए नोमिनि) मैसर्स सरीन एण्ड सरीन, 21/65बी, फ्रीगंज आगरा–282004 (उ0प्र0) निवासी–19/111, कुचा साधूराम, आगरा–282003 (उ0प्र0)
3. मैसर्स सरीन एण्ड सरीन, 21/65बी, फ्रीगंज आगरा–282004 (उ0प्र0)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/62 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायलान स0 1 लगा0 3 मय वकील

निर्णय

दिनांक : 15.07.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/62 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। नियत दिनांक 22.03.2021 को गैरसायल मय वकील उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 11.10.2019 को दोपहर 12.30 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स जैन ऐजेन्सीज, कोतवाली, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक के कट्टे में 32 पैक (मल्टी पाउच

निर्णयन अधिकारी
तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
रतपुर (राज.)

पैक प्रति पैक 30 पाउच) पान मशाला (गोल्ड मौहर) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/706/एक्ट/2019/678 दिनांक 26.11.2019 द्वारा उक्त पान मशाला (गोल्ड मौहर) का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Sabstandard & Misbrand) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप (Sabstandard & Misbrand) प्रकृति के पान मशाला (गोल्ड मौकर) का विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स जैन एजेन्सीज कोतवाली भरतपुर से पान मशाला (गोल्ड मौहर) की शुद्धता (मिलावट) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में मिथ्याछाप (Sabstandard & Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पान मशाला (गोल्ड मौहर) के निर्माण एवं पैकिंग में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। पान मशाला (गोल्ड मौहर) को जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप की त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानीपूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। दिनांक 11.10.2019 को दोपहर 12.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु पाना मशाला (गोल्ड मौहर) करीब 32 पैक प्लास्टिक के कट्टे में पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/706/एक्ट/2019/678 दिनांक 26.11.2019 द्वारा उक्त पान मशाला का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Sabstandard & Misbrand)) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दि. 14.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)